विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रश्न संख्या तारांकित : 5114

उत्तर की तिथि : 11–03–2022

विषय : मिट्टी तेल वितरण

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर)

सम्बन्धित मन्त्री : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री

प्रश्न		उत्तर
क्या खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे किः–		
(क)	यह सत्य है कि उचित मूल्य की दुकानों पर मिट्टी के तेल का वितरण हो रहा है;	(क), (ख) व (ग) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को किस अनुपात में और कितना लीटर तेल दिया जाता है; और	
(ग)	क्या सरकार मिट्टी के तेल की आपूर्ति की मात्रा को बढ़ाने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो कारण सहित ब्यौरा दें?	

<u>विधान सभा प्रश्न संख्या तारांकित 5114 जो कि माननीय विधायक श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर) द्वारा मिट्टी तेल वितरण बारे पूछा गया है, के (क), (ख) व (ग) भाग से सम्बन्धित सूचना</u>:–

(क) वर्तमान में प्रदेश के केवल जनजातीय क्षेत्रों (पांगी, भरमौर, डोडरा–क्वार, लाहौल–स्पिति व किन्नौर) की उचित मूल्य की दुकानों पर ही मिट्टी के तेल का वितरण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(ख) प्रदेश के गैर–जनजातीय व जनजातीय क्षेत्रों (पांगी, भरमौर काजा, डोडरा–क्वार, लाहौल–स्पिति व किन्नौर) में मिट्टी तेल प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नानुसार हैः–

क्षेत्र	स्केल/मात्रा (प्रत्येक राशन कार्ड/प्रत्येक महीना) (मात्रा लीटर में)		
	डी0बी0सी0	एस0बी0सी0	एल0पी0जी0 रहित
जनजातीय	03	05	15
गैर– जनजातीय	––	03	10

(ग) जी नहीं। विभाग द्वारा प्रदेश को आबंटित अनुदानित मिट्टी के तेल की आपूर्ति, जनजातीय क्षेत्रों (पांगी, भरमौर काजा, डोडरा–क्वार, लाहौल–स्पिति व किन्नौर) को छोड़ कर प्रदेश के शेष जिलों में मिट्टी के तेल की मांग न होने के कारण सभी डिपुओं में बन्द कर दी गई है । यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी किरोसीन (उपयोग पर निबंधन और अधिकतम कीमत नियमन) आदेश, 1993 की धारा 2 (ख) में उल्लेखित केवल दो उददेश्यों की आपूर्ति प्रथम खाना पकाने व द्वितीय प्रदीपन हेतु मिट्टी तेल का आंबटन किया जाता है। खाना पकाने हेतु प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 3. 25 लाख पात्र परिवारों को गैस कनैक्शन मुफ्त जारी किए जा चुके है। साथ ही, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत भी लगभग 1. 37 लाख गैस कनैक्शन जारी किए जा चुके है। इस प्रकार

प्रदेश में उक्त दोनों योजनाओं के तहत अब तक कुल 4.62 लाख गैस कनैक्शन पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जा चुके हैं जो कि एक स्वच्छ ईंधन हैं। साथ ही प्रदेश के लगभगं हर घर में बिजली की सुविधा भी है। उक्त वर्णित तथ्यों के कारण प्रदेश में मिट्टी तेल की मांग गैर–जनजातीय क्षेत्रों में शून्य है।

***